न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 186/2015/डिक्री

1. जीतमल पिता भगवान कीर
2. सत्यनारायण पिता भगवान कीर
3. नन्दलाल पिता भगवान कीर
4. मु0 भगवानी बेवा भगवान कीर

सभी निवासी नपावली तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्टस

बनाम

1. चम्पालाल पिता चतरभुज मेघवाल
   निवासी सादलखेडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
2. छोगा पिता चतरभुज मेघवाल मृतक के बजाय–
   1. सोहन पिता छोगा मेघवाल
      निवासी सादलखेडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
   2. देऊबाई पिता छोगा मेघवाल– फौत
3. मगना पिता चतरभुज मेघवाल
   निवासी सादलखेडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
4. राज्य जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, भदेसर
दिनांक 06.07.2015 प्रकरण सं. 104/2010

उपस्थित – 1. श्री खुमराज कुमावत – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री चन्दनमल जणवा – रेस्पोडेन्ट –1 से 3

निर्णय दिनांक– 05.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्टगण/वादीगण की ओर से वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम नपावली तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 274 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा जमीन स्थित है जिसके पडौस पूरब जीतमल पिता गोकल कीर पश्चिम सत्यनारायण राव, उत्तर वादीगण का खेत दक्षिण उदयपुर रोड है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात पूर्व मे वादीगण/अपीलान्ट के पिता भगवाना पिता हरलाल कीर ने श्री किशोर पिता मोती कीर निवासी नपावली से जरिये रजिस्टर्ड

विक्रयपत्र दिनांक 11/01/1974 से क्रय की। अपीलान्ट ने स्वर्ण जाति से जमीन खरीद की है। इस आधार पर अपीलान्ट खातेदारी घोषणा का अधिकारी होने से वादपत्र प्रस्तुत किया इसकी जानकारी प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट को प्रारम्भ से ही थी एवं उक्त जमीन के पास ही अपीलान्टगण की आराजीयात स्थित है। वर्तमान मे प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट के नाम उक्त विवादित जमीन होने से उसकी आड मे दिनांक 19/11/2009 से उक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की जमीन से बेदखल करने की धमकियां देने लगे। बाबत् प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट के खिलाफ घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया जिस पर राजस्व लोक अदालत आपके द्वार कैम्प नपावली मे रखी गयी जिस पर वादीगण अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपना वाद अनुसार व दस्तावेज अनुसार कब्जे अनुसार पक्ष रखा, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधि प्रक्रिया अपनाये दस्तावेज व कब्जे को नजर अंदाज करते हुए धारा 42 राज0 टिनेन्सी एक्ट के विपरीत होना मानकर बिना सुनवाई बिना विधि प्रक्रिया अपनाये जल्दबाजी मे निर्णय पारित कर दिया। उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06/07/2015 गलत होने से इसकी अपील अन्दर मियाद निम्नानुसार पेश है। वर्तमान मे दौराने वाद उक्त जमीन का सेटलमेन्ट होने से नपावली की पुरानी आराजी नम्बर 274 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा के नये नम्बर 415 रकबा 0.87 है0 है जो प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट के नाम होकर विवादित है, जिसकी अपील पेश है।

2. अपीलान्टगण के पिता व पति मौजा नपावली की आराजी नम्बर 274 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा जमीन जिसको पूर्व मे किशोर पिता मोती कीर निवासी नपावली द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्यारा, प्रथा, रामा पिता गमेरा चमार से खरीर कर रखी थी व किशोर का कब्जा चला आ रहा था। दिनांक 30/07/1985 को ग्राम पंचायत नपावली द्वारा इंतकाल खोला गया जो गलत है, सजरा गलत अंकित है। उक्त गलत इंतकाल की आड मे 3 वर्ष बाद बिना कब्जे के रामा, भेरा, नारायण पिता गमेरा चमार ने 12000/– रू0 मे दिनांक 12/05/1987 को चम्पा, छोगा, मगना पिता चतरभुज मेघवाल निवासी सादलखेडा तहसील भदेसर को विक्रय कर दी जिसकी इंतकाल संख्या 376 दिनांक 15/08/1988 है। गलत इंतकाल संख्या 351 के अधार पर रामा, भेरा, नारायण पिता गमेरा द्वारा इंतकाल नम्बर 376 से प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट को जमीन विक्रय करने से नाम पर आने से विवाद करते है। जबकि प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट के नाम पर रजिस्ट्री ही गलत विक्रेता द्वारा की गयी है। अपीलान्ट के खातेदारी की घोषणा व कब्जे के आधार पर प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट का कोई

हक हिस्सा कब्जा नही है जिस आधार पर भी अपीलान्टगण अपने पर नाम पर खातेदारी की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर मौजा नपावली की पुरानी आराजी नम्बर 274 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा जिसके नये नम्बर 415 रकबा 0.87 है0 के सम्बन्ध मे अपीलान्टस की अपील स्वीकार फरमायी जाकर खातेदार घोषित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय व डिक्री दिनांक 06/07/2015 का निर्णय एवं डिक्री निरस्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि उनके द्वारा किसी प्रकार का धारा 42 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का उल्ल्घंन नही किया गया है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट का 1974 से कब्जा है। इसी प्रकरण मे धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का भी दावा 96/2013 अनुवानी जीतमल बनाम चम्पालाल चला था जिसमे दिनांक 14/05/2014 को निर्णय पारित किया गया तथा भूमि राजसाथ की गई थी। जिसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के न्यायालय मे अपील प्रस्तुत हुई थी जो रिमाण्ड की गई है। उक्त प्रकरण अभी भी विचाराधीन है। अपीलान्ट जीतमल वगैरह की जाति कीर है जो अन्य पिछडा वर्ग मे आती है जबकि रेस्पोडेन्ट अनुसूचित जाति के है। इस भूमि को लेकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एक्ट के तहत भी मुकदमा अन्तर्गत धारा 447,441 आईपीसी एवं धारा 3(1)(5) एससी/एसटी एक्ट अनुवानी स्टेट बनाम जीतमल कीर वगैरह विचाराधीन था जिसमे अपीलान्ट को विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोर्ट चित्तौडगढ द्वारा दिनांक 28/03/2012 को बरी कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम किये बिना निर्णय पारित किया गया है तथा कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नही हुआ है। उनके द्वारा आरआरटी 2017(1) पेज 740 की नजीर पेश की गई है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति से क्रय की गई भूमि **Void-ab-initio** है। ऐसी सूरत मे खातेदारी नही दी जा सकती है। इसी प्रकरण मे दिनांक 07/06/2005 को रेस्पाडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर पत्थरगढी की गई थी जिससे भी अपीलान्टस का कब्जा होना नही पाया जाता है। इनके द्वारा आरआरटी 2005 पेज 500, आरबीजे 1998 पेज 77, आरबीजे 2001 पेज 427, आरआरटी 2013(1) पेज 426,

आरआरटी 2013 (2) पेज 936 आदि का अवलोकन करवाया गया। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्टस खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि यह एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बेचान का प्रकरण है जिसमे स्पष्ट रूप से धारा 42 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का उल्लघंन होना पाया जाता है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा भी अपने निर्णय मे समस्त तथ्यो का उल्लेख किया है जो विधिक रूप से सही है। ऐसी सूरत मे हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे किसी प्रकार की कमी नही पाये जाने के कारण हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। फलतः अपील अपीलान्टस खारीज की जाकर न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा प्रकरण संख्या 104/2010 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06/07/2015 को यथावत रखते हुए अपील अपीलान्टस खारीज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़